

## User Manual for Create Work Order in District Mineral Foundation (DMF) Portal

- डी.एम.एफ. पोर्टल (DMF Portal) पर ऑनलाईन राशि एवं प्रोजेक्ट्स की एन्ट्री हेतु
- विभागीय बेवसाइट <http://dmfmp.org/> पर जाकर डी.एम.एफ. पोर्टल (DMF Portal) का होम पेज खोले।
- यूजर को होम पेज पर लॉगिन का चयन करना होगा।
- न्यू कार्यादेश जारी किये जाने के लिये निम्ननुसार कार्यवाही की जानी है

- Sanction Project का चयन करें एवं Sanction Project Option में जाकर एक न्यू विण्डो दर्शित होगी, जिस पर Sanction Project की जानकारी दर्ज की सकेगी। Sanction Project Option में जाकर आपको For Works या For Procurement का चयन करना होगा। जिसके माध्यम से संबंधित Works Order जारी होगा।
- इस प्रकार डीएमएफ पर कार्य आदेश साफ्टवेयर द्वारा जनरेट हो सकेगा । साफ्टवेयर से आदेश जारी करने पर आपको अलग से डाटाएन्ट्री नहीं करना होगी।

## For Works -

The screenshot displays the 'Sanction Project' form in a web browser. The form is titled 'Sanction Project' and has a close button (X). It contains the following fields and options:

- Create Work Order:** Radio buttons for 'For Works' (selected) and 'For Procurement'.
- Project Name \***: Text input field.
- Priority \***: Dropdown menu with '-- Select --'.
- Project Category \***: Dropdown menu with 'Select Project'.
- Project Sub Category \***: Dropdown menu with 'Select Sub Project'.
- Level Of Project \***: Dropdown menu with 'Select Project Level'.
- Agency \***: Dropdown menu with 'Select Agency'.
- Description**: Text area.
- Latitude**: Text input field.
- Longitude**: Text input field.
- Address \***: Text input field.

The background shows a dashboard with a 'Sanction Project' button and a table with columns for 'Work Status' and 'Edit'.

- DMF
- Annual Report
- Change Password
- Collection Info
- Constitution Details
- Lease Details
- MOM Details
- Notices
- Sanction Project
- State Fund
- View / Edit Profile

### Administrative Sanction

(a.) Amount \*  In Lakh

(b.)  Given in the executive council meeting dated \*  
 Given in anticipation of the executive council meeting \*

(c.)  Given as per sanction given by the incharge minister dated \*  
 In anticipation of approval of incharge minister \*

### Technical Sanction

Name of Officer issuing TS *	Designation *	Letter Number *	Date *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1st Installment (in Lakh) \*  Amount in Lakh

Target Date of Completion

Welcome, modgmchh@mp.gov.in

Amount - Rs. 3,010.34 Lac

₹ 3,010.34 Lac

Work Status	Edit
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# For Procurement -

The screenshot shows a web browser window with the URL `dmfmp.q4connect.com/app/prod/index?p=e15jdf54Xnl%28MzdfaW5zZXJ0X2NvbGxY3Rpb25eMTUxOTQ5ODY4M41XmVuZ2xpc2h%2BNWFIZGY5OTM2NjlxODQzZTg0Mzc3NDNkMm...`. The page title is "Sanction Project".

**DMF Navigation Menu:**

- Annual Report
- Change Password
- Collection Info
- Constitution Details
- Lease Details
- MOM Details
- Notices
- Sanction Project
- State Fund
- View / Edit Profile

**Sanction Project Form:**

**Create Work Order**

For Works  For Procurement

For Institution  For Beneficiary

**Project Name \***

**Priority \***

**Project Category \***

**Project Sub Category \***

**Level Of Project \***  **Agency \***

**Description**

**Latitude**  **Longitude**

**Right Panel:**

Welcome, modgmchh@mp.gov.in

Amount - Rs. 3,010.34 Lac

**Sanction Project**

₹ 3,010.34 Lac

	Work Status	Edit
er	☰	✎ ✕
er	☰	✎ ✕
er	☰	✎ ✕

**Windows Taskbar:**

Type here to search

12:03 PM 2/24/2018

**DMF**

- Annual Report
- Change Password
- Collection Info
- Constitution Details
- Lease Details
- MOM Details
- Notices
- Sanction Project
- State Fund
- View / Edit Profile

### Administrative Sanction

सामग्री/उपकरण का नाम	संख्या	राशि प्रति नग	कुल राशि	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="+"/>

(a.) Amount \*  In Lakh

(b.)  Given in the executive council meeting dated \*   
 Given in anticipation of the executive council meeting \*

(c.)  Given as per sanction given by the incharge minister dated \*   
 In anticipation of approval of incharge minister \*

### Recommendation of need / Proposal

Name of Officer *	Designation *	Letter Number *	Date *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1st Installment (in Lakh) *	Amount in Lakh		
	<input type="text"/>		
Target Date of Completion	<input type="text"/>		

Welcome, modgmchh@mp.gov.in

Total Amount - Rs. 3,010.34 Lac

₹ 3,010.34 Lac

Work Order	Work Status	Edit	
<input type="button" value="+ Create Order"/>			
<input type="button" value="+ Create Order"/>			
<input type="button" value="+ Create Order"/>			
<input type="button" value="+ Create Order"/>			
<input type="button" value="+ Create Order"/>			
<input type="button" value="+ Create Order"/>			

- Create Work Order - Create Work Order का चयन करना होगा। Order से संबंधित जानकारी आपको भरनी होगी। जिससे अपने आप Work Order Create हो जायेगा।
- साथ ही अपने Work Order से संबंधित जारी किये जाने वाले आवश्यक निर्देशों का चयन करें। उपलब्ध न होने पर नये निर्देशों को Text में जोडा भी जा सकता है।

The screenshot shows a web application interface for creating a Work Order. The page title is 'A-1' and the breadcrumb is 'Sanction Project'. The main content area is titled 'जिला खनिज प्रतिष्ठान' and contains a form with fields for 'कार्य का नाम', 'स्थल', and 'कार्य की प्राथमिकता'. Below the form, there are several paragraphs of text providing instructions and conditions for the work order. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Annual Report', 'Change Password', 'Collection Info', etc.

जिला खनिज प्रतिष्ठान

आदेश :-

(1) मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 एवं इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुक्रम में कलेक्टर एवं अध्यक्ष कार्यपालिका समिति जिला खनिज प्रतिष्ठान जिला Chindwara की अध्यक्षता में दिनांक 22-02-2018 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में तथा प्रभारी मंत्री एवं अध्यक्ष न्यास मण्डल जिला खनिज प्रतिष्ठान जिला Chindwara के आदेश दिनांक 22-02-2018 के अनुपालन में रूपये 50 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित कार्य के लिए प्रदान की जाती है ।

(क) कार्य का नाम : A-1

(ख) स्थल : E-1

(ग) कार्य की प्राथमिकता : उच्च

(घ) कार्य का वर्ग/शीर्ष : Drinking water supply

(2) इस कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति श्री C-1 पदनाम D-1 द्वारा अपने आदेश क्रमांक 123 दिनांक 23-02-2018 द्वारा जारी की गई ।

(3) उपरोक्त प्रशासकीय स्वीकृति के अनुपालन में प्रथम किश्त के रूपये 10 Lac राशि जारी करने की स्वीकृति भी दी जाती है ।

(4) यह प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

<ul style="list-style-type: none"> <li>स्वीकृत निर्माण कार्य प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार निर्धारित तकनीकी मापदण्डों के आधार पर ही कराया जायेगा । कार्य निर्धारित मापदण्ड के विपरीत पाये जाने पर उसका सम्पूर्ण दायित्व निर्माण एजेंसी का होगा । ऐसी स्थिति में प्रकरण गुण-दोष के आधार पर संबंधित क्रियान्वय एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।</li> <li>कार्य शासकीय भूमि पर ही कराया जाना सुनिश्चित किया जाये । कार्य प्रारंभ करने के पूर्व स्थल का नक्शा खसरा की प्रमाणित प्रति तथा कार्य स्थल का गूगल मैप प्रतिष्ठान को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा । अनुमति आवश्यक होने पर सक्षम अनुमति प्राप्त कर ही कार्य कराया जाये ।</li> <li>विशेष परिस्थितियों में निजी भूमि पर मध्य प्रदेश शासन के पक्ष में लयन उपरंत ही निर्माण कार्य मान्य किया जायेगा व क्रियान्वयन एजेंसी को राजस्व विभाग से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।</li> <li>वन भूमि में बिना वन विभाग की अनुमति के कोई कार्य नहीं कराया जायेगा ।</li> <li>कार्य स्थल पर सूचना पटल लगाया जाये जिसमें कार्य से संबंधित जानकारी तथा मद, कार्य की लागत, क्रियान्वयन एजेंसी का नाम एवं कार्य पूर्णता का दिनांक इत्यादि अंकित किया जाये ।</li> </ul>
---

- प्रशासकीय स्वीकृति की राशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जावेगा। क्रियान्वयन एजेंसी का उत्तरदायित्व होगा कि स्वीकृत निर्माण कार्य पूर्ण कराकर कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रेषित करें।
- निर्माण कार्य एवं कार्य से संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण समय-समय पर कलेक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
- कार्य की प्रगति अनुसार मजदूरी का साप्ताहिक भुगतान प्रचलित मजदूरी अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा निर्धारित दर पर मजदूरी का भुगतान करना होगा।
- कार्य प्रारंभ के पूर्व, प्रगतिरत तथा कार्य पूर्ण होने पर स्थल का रंगीन फोटोग्राफ एक-एक प्रति नस्ती में लगाना होगा तथा एक-एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
- तकनीकी स्वीकृतिकर्ता अधिकारी का दायित्व होगा कि वे अपने तकनीकी अधिकारियों से स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी मार्गदर्शन करना सुनिश्चित करें एवं स्वयं भी क्षेत्रीय दौरो के दौरान कार्य की प्रगति देखें तथा तकनीकी स्वीकृत अनुसार कार्य को समाप्त में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- कार्य का पाठिक प्रगति प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजना अनिवार्य होगा। यह प्रतिवेदन तब तक भेजना अनिवार्य होगा, जब तक कि कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी कर निर्मित परिसम्पत्ति उपयोगकर्ता विभाग को हस्तांतरित नहीं कर दी जाती।
- स्वीकृत निर्माण कार्य पर सामान्य एवं प्रचलित वित्तीय और लेखा प्रक्रिया लागू होगी।
- कार्य पर लगने वाली सामग्री आदि क्रय करने में मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियम-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- निर्माण कार्य का प्राक्कलन/डिजाइन व स्थल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन प्रतिष्ठान की अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा।
- जिला खनिज प्रतिष्ठान द्वारा समय पर जारी किये जाने वाले अनुदेश का पालन अनिवार्य होगा।

Enter Terms & Conditions



प्रतिलिपि :

- माननीय प्राभरी मंत्री जी, की ओर सूचनार्थ।
- सचिव म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- कलेक्टर, Chindwara जिला की ओर सूचनार्थ।

Create Order

Work Order को final करने से पूर्व एक बार चेंक कर लें। तदुपरांत final कर Work Order जनरेंट करें।

The screenshot shows a web browser window with the URL `dmfmp.q4connect.com/app/prod/index.php?p=el5jdF54Xnlec2FuY3Rpb25fcHJval9pZH42MF9jcmVhdGVfcHJvamVjdF9vcmlcl4xNTE5NDk4NjgyXjVeZW5nbGlzaF4yNDE1fmVmMGM...`. The page title is "DMF" and the user is logged in as "modgmchh@mp.gov.in". The main content area is titled "A-1" and "Sanction Project". There is a "View Work Orders" button and a table with the following data:

#	Order Date	Template	Action
1	2018-02-24	Work Order for Projects	 

At the bottom right of the page, it says "Designed and Developed by SynQueS." The Windows taskbar at the bottom shows the time as 12:06 PM on 2/24/2018.



# Work Order को final कर प्रिंट कर जारी किया जाना।

print\_work\_order.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

File Edit View Window Help

Home Tools print\_work\_order.pdf x Sign In

1 / 1 75%

क्रमांक : Chindwara/DMF/2018/001 दिनांक : 24-02-2018

जिला खनिज प्रतिष्ठान

आदेश :-

(1) मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 एवं इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुक्रम में कलेक्टर एवं अध्याक्ष कार्यपालिका समिति जिला खनिज प्रतिष्ठान जिला Chindwara की अध्यक्षता में दिनांक 22-02-2018 को आयोजित बैठक में तय हुए निर्णय के अनुपालन में तथा पंभारी संती एवं अध्याक्ष न्यास माउंटल जिला खनिज प्रतिष्ठान जिला Chindwara के आदेश दिनांक 22-02-2018 के अनुपालन में रुपये 60 लाख की प्रयासकीय स्वीकृति निम्नलिखित कार्य के लिए प्रदान की जाती है।

(क) कार्य का नाम : A-1

(ख) स्थल : B-1

(ग) कार्य की प्राथमिकता : उच्च

(घ) कार्य का वर्ग/शीर्षक : Drinking water supply

(2) इस कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति श्री C-1 पटनाम D-1 द्वारा अपने आदेश क्रमांक 123 दिनांक 23-02-2018 द्वारा जारी की गई।

(3) उपरोक्त प्रयासकीय स्वीकृति के अनुपालन में प्रथम किशत के रुपये 10 Lac राशि जारी करने की स्वीकृति भी दी जाती है।

(4) यह प्रयासकीय स्वीकृति एवं प्रथम किशत की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

- स्वीकृत निर्माण कार्य प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार निर्धारित तकनीकी मापदण्डों के आधार पर ही कराया जायेगा। कार्य निर्धारित मापदण्ड के विपरीत पाये जाने पर उसका सम्पूर्ण दायित्व निर्माण एजेंसी का होगा। ऐसी स्थिति में प्रकरण गुण-दोष के आधार पर संबंधित क्रियाचय एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- कार्य प्रयासकीय भूमि पर ही कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व स्थल का नक्शा खसरा की प्रमाणित प्रति तथा कार्य स्थल का गूगल मैप प्रतिष्ठान को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अनुमति आवश्यक होने पर सक्षम अनुमति प्राप्त कर ही कार्य कराया जाये।
- विशेष परिस्थितियों में निजी भूमि पर मध्य प्रदेश शासन के पक्ष में खजाने उपरांत ही निर्माण कार्य मान्य किया जायेगा व क्रियाचयन एजेंसी को राजस्व विभाग से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- वन भूमि में बिना वन विभाग की अनुमति के कोई कार्य नहीं कराया जायेगा।
- कार्य स्थल पर नूचना पटल लगाया जाये जिसमें कार्य से संबंधित जानकारी यथा मद्द, कार्य की लगत, क्रियाचयन एजेंसी का नाम एवं कार्य पूर्णता का दिनांक इत्यादि अंकित किया जाये।
- योजनात्मक प्राप्त राशि की विभागीय रसीद अदिलद्वय भेजना होगा। द्वितीय किशत के माँग पत्र के साथ कार्य स्थल पर बोर्ड लगा होने संबंधी प्रमाण पत्र, कार्य स्थल के विभिन्न सरणों के छायाचित्र एवं क्रियाचयन एजेंसी द्वारा माप पुरशिका की अभिप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत की जायेगी। उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना अनिवार्य होगा। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व के कार्य निर्माण के दौरान तथा कार्य समाप्ति के छाया चित्र अनिवार्यतः विभागीय अभिलेख में रखें।
- XYZ

सदस्य सचिव  
न्यास माउंटल,  
जिला खनिज प्रतिष्ठान  
जिला Chindwara  
दिनांक :- 24-02-2018

क्रमांक : Chindwara/DMF/2018/001

Export PDF  
Create PDF  
Edit PDF  
Comment  
Combine Files  
Organize Pages  
Protect  
Redact  
Fill & Sign  
Send for Signature  
Send & Track

Store and share files in the Document Cloud  
Learn More

Type here to search

EN 12:07 PM 2/24/2018